



JALAUN POLICE



OPERATION CONVICTION

मारपीट के अभियोग में अभियुक्त 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 7,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित ।

वादी/पीड़ित कल्लू बसोर पुत्र श्यामलाल बसोर निवासी ग्राम कुसमरा थाना आटा जनपद जालौन के साथ मारपीट व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज की घटना में तहरीर के आधार पर थाना आटा पर मु0अ0सं0 166/16 धारा 323/325/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट बनाम बट्टन पाल पुत्र मंगली पाल निवासी ग्राम कुसमरा थाना आटा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 26.08.2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 16.03.2026 को मा0 न्यायालय एससी एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त बट्टन उपरोक्त को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 7,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।



बृजराज सिंह राजपूत



कोर्ट पैरोकार अखिलेश

x @jalaunpolice

Instagram jalaunpolice

f JalaunPolice